वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 90वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी,2015 को अपरान्ह पूर्व 11.00 बजे मुख्यालय स्थित गांधी भवन के बैठक कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01.	प्रो0 विनय पाठक कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
02.	श्री ओंकार सिंह संभागीय आयुक्त कोटा (प्रतिनिधि वित्त विभाग)	सदस्य
03.	प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव दूरस्थ शिक्षा विभाग इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
04.	डॉ. दिलीप गोयल संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा विभाग) राज0 सरकार जयपुर। (प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
05.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर आचार्य, राज0 विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
06.	प्रो0 दिनेश गुप्ता आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
07.	डा0 अरविंद पारीक निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
08.	प्रो0 अशोक शर्मा कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव
09.	डा0 सुरेश चंद्र शर्मा नियंत्रक, वित्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	विशेष आमंत्रित

बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल में नवनियुक्त सदस्य प्रो0 दिनेश गुप्ता एवं वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव गणों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सदन के अन्य सदस्यों से उनका परिचय करवाया गया, तत्पश्चात् आवश्यक

गणापूर्ति की बाद माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा बाद निम्नानुसार निर्णय किए गए:—

90/01 प्रबंध मंडल की 89वीं बैठक दिनांक 19 सितंबर 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 89वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं सदस्यगणों से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर किए गए संयोजन क्रमांक 5066 दिनांक 15.10.14 का अनुमोदन किया गया।

90/02 प्रबंध मंडल की 89वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का पालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं पुष्टि हेतु।

प्रबंध मंडल की 89वीं बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए निर्णय संख्या 89/08 के क्रम में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को लिपिक पद में समायोजन सम्बन्धी की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करवाया जाए एवं निर्णय संख्या 89/14 की पालना में लिखा गया कि बजट प्रावधान के लिए वित्त समिति में प्रस्ताव भेज दिया गया है, किंतु वित्त समिति के कार्यवाही विवरण में इसका उल्लेख नहीं है, इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं किए जाने का निर्णय उनके स्तर पर ले लिया गया है, इस कारण वित्त समिति के लिए प्रस्तावों में इस प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया।

शेष अनुपालना पर संतोष व्यक्त किया गया।

90/03 विद्या परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 18 नवंबर 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 18 नवंबर 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए निर्णय संख्या 50/01 में उल्लेखित समिति की रिपोर्ट आवश्यक रूप से एक माह के भीतर आयोजित करवाने के निर्देश के साथ कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

90/04 वित्त समिति की 53वीं बैठक दिनांक 17 जनवरी 2015 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की 53वीं बैठक दिनांक 17 जनवरी 2015 का कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान निर्णय संख्या 53/07(3) के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने जानकारी चाही की इस प्रकरण पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है, राज्य सरकार के मार्गदर्शन बिना ही इस पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प 8(2) शि—4/2014 दिनांक 15.12.2014 की प्रति सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रक वित्त से परीक्षण करवाकर वित्त समिति में राज्य सरकार के पेंशन नियमों के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है, साथ ही राज्य सरकार के पत्र में राज्य सरकार से सहमति का कोई

उल्लेख नहीं किया गया है,उक्त जानकारी के बाद वित्त विभाग के प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, कोटा का मत था कि वित्त समिति के निर्णय में राज्य सरकार के पत्र कमांक प 8(2) शि–4 /2014 दिनांक 15.12.2014 के कम में निर्णय किए जाने का उल्लेख किया जाना चाहिए था इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि उक्त सुझाव के क्रम में वित्त समिति के निर्णय को संशोधित कर लिया जाएगा।

उक्त चर्चा उपरांत वित्त समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

90/05 राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के आचार्य एवं सह आचार्य के पद पर नियुक्त शिक्षकों का प्रोबेशन दो वर्ष से कम कर एक वर्ष किए जाने के आदेश अनुमोदनार्थ।

राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के आचार्य एवं सह आचार्य के पद पर नियुक्त शिक्षकों का प्रोबेशन अवधि कम करने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 4052–61 दिनांक 07.11.14 का अनुमोदन किया गया।

90/06 विभिन्न न्यायालयों में दाखिल विधिक प्रकरणों में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी करने के लिए स्थाई अधिवक्ता/अधिवक्ताओं को देय विधिक शुल्क एवं अन्य विधिक खर्चो पुनरीक्षित करने सम्बन्धी आदेश अनुमोदनार्थ।

स्थाई अधिवक्ता/अधिवक्ताओं को देय विधिक शुल्क एवं अन्य विधिक खर्चो के पुनरीक्षित करने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 3704–09 दिनांक 15.10.14 का अनुमोदन किया गया।

90/07 भारतीय पुनर्वावास परिषद एवं विश्वविद्यालय के मध्य विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया गया एम0ओ0यु0 पुष्टि/अनुमोदनार्थ।

सदन द्वारा भारतीय पुनर्वावास परिषद एवं विश्वविद्यालय के मध्य विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु किये गए एम0ओ0यु0 की पुष्टि के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त एम30ओ0यु0 में राज्य सरकार पर वित्त सम्मबन्धी किसी प्रकार का दायित्व तो नहीं आने वाला है? अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि इसमें किसी प्रकार का वित्तिय भार राज्य सरकार / वि0वि0 पर नहीं आने वाला है, बल्कि इसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से वि0वि0 की आय में वृद्वि होगी।

90/08 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की सुविधा हेतु विभिन्न आवेदन पत्र एवं शुल्क ई0 मित्र कियोस्क काउंटर के माध्यम से जमा करवाने के लिए राजकॉम के साथ किया गया एम0ओ0यु0 पुष्टि/अनुमोदनार्थ ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न आवेदन पत्र एवं शुल्क ई0मित्र कियोस्क काउंटर के माध्यम से जमा करवाने के लिए राजकॉम के साथ किए गए एम0ओ0यु0 की पुष्टि की गई।

90/09 निलंबित सहा0 आचार्य, श्री राकेश शर्मा के प्रकरण पर विचार विमर्श एवं निर्णय।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बताया कि इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ है, अतः प्रकरण राज्य सरकार की उक्त समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस क्रम में सदन को यह अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प.8(1)शि–4/2014 दिनांक 09.04.14 द्वारा प्रबंध मंडल एवं कुलपति को इस प्रकरण में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है, इसकी पालना में ही निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन का अनुमोदन किया गयाः–

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा–अध्यक्ष।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, ग्रुप–4, विभाग द्वारा नामित अधिकारी , परिपत्र क्रमांक प.06.(23)प्र.सु./अनु–3/99 जयपुर दिनांक 12.01.2011 के अनुसार सदस्य।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक, क–3, विभाग द्वारा नामित अधिकारी , परिपत्र क्रमांक प.06.(23)प्र.सु./अनु–3/99 जयपुर दिनांक 12.01.2011 के अनुसार सदस्य।
4. श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा नामित अधिकारी , परिपत्र क्रमांक प.06.(23)प्र.सु./अनु–3/99 जयपुर दिनांक 12.01.2011 के अनुसार सदस्य।
5. प्रो0 अशोक शर्मा, आचार्य, राज0 विज्ञान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, सदस्य।
6. नियंत्रक, वित्त, वमखुविवि,कोटा–सदस्य।
7. कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा–सदस्य सचिव।

उपरोक्त जानकारी के बाद यह निर्णय किया गया कि उक्त समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय करवा लिया जाए तथा किए गए निर्णय को आगामी प्रबंध मंडल में प्रस्तुत किया जाए।

90/10 स्वीकृत स्टेनोग्राफर्स के पदों के उन्नयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्तावानुसार स्टेनोग्राफर्स के पदों के उन्नयन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय करते हुए नियमानुसार इन पदों को राज्य सरकार द्वारा अपग्रेड किए जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नियमानुसार पदोन्नति करने का निर्णय लिया गया।

90/11 स्किल डवलपमेंट एवं प्लेसमेंट सैल के गठन एवं निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश पुष्टि हेतु।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने जानकारी चाही कि सैल के गठन के सृजित होने वाले पदों की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं, इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में यह प्रावधान है कि प्रबंध मंडल द्वारा आवश्यकतानुसार निदेशकों के पदों का सृजन किया जा सकता तथा इन पदों पर नियुक्ति विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से ही की जा सकती है, इस प्रकार इससे कोई अतिरिक्त वित्तिय भार नहीं होगा। उक्त जानकारी के बाद स्किल डवलपमेंट एवं प्लेसमेंट सैल के गठन एवं निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश क्रमांक 7073 दिनांक 31.12.14 तथा 7161 दिनांक 15.01.15 का अनुमोदन किया गया।

90/12 विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर चर्चा के प्रारंभ में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि डा0 दिलीप गोयल ने एक शिकायत सम्बन्धी पत्र का जिक्र किया। गृह मंत्रालय,भारत सरकार से श्री ए0के0 निगम से प्राप्त पत्र को पटल पर प्रस्तुत किया गया । पत्र में शिकायतकर्ता का नाम श्री सीताराम लिखा हुआ था। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति ने सदन को अवगत करवाया कि श्री सीताराम विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री रामकरण मीणा का भाई है एवं श्री रामकरण मीणा के विरूद्व गलत तरीके से कर्मचारी कल्याण कोष से ऋण लेने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इस शिकायत सम्बन्धी तथ्यों से कोटा के पुलिस अधीक्षक एवं राज्य सरकार को पूर्व में ही अवगत करवा दिया गया है।

इस जानकारी के उपरांत सदन द्वारा इस संपूर्ण प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट देने हेतु तीन प्रोफेसर की एक समिति का गठन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । समिति की रिपोर्ट से कुलाधिपति महोदय एवं राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जाएगा।

तदुपरांत दिनांक 19 जनवरी 2015 को आयोजित विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार सम्बन्धी चयन समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन करते हुए चयन समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप निम्नलिखित अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया:–

S.No	Name of post	Name of selected candidate
01	Director, Regional centre	DR. Dilip Kumar Sharma
02	Astt. Prof. Computer Sc.	Sh. Neeraj Arora
03	Astt. Registrar	<u>General Category:-</u> 1- Alok Sharma 2- Shiv Kumar Sharma 3- Sant Bahadur Singh <u>S.C. Category:-</u> 1- Ravi Sagar Bua <u>S.T. Category:-</u> 1. Ganga Ram Meena <u>O.B.C. Category:-</u> 1- Chakardhar Verma
04	System Analyst and Design Manager	Sh. Rajesh Tripathi
05	Programmer	Sh. Antim Kumar JaIN

उपरोक्त के अतिरिक्त चयन समितियों की अनुशंसाओं के अनुरूप निम्नलिखित अभ्यार्थियों को वेंटिग केंडीडेट्स के रूप में रखे जाने का भी निर्णय किया गया:–

S.No	Name of post	Name of selected candidate
01	Director, Regional centre	Veerendra Kumar Saini
02	Astt. Prof. Computer Sc.	Varsha Chhamuniya

03	Astt. Registrar	<u>General Category:-</u> 1- Arun Sharma 2- Chakardhar Verma <u>S.C. Category:-</u> 1- Mahendra Chhatrawal <u>S.T. Category:-</u> DR. Vijay Singh Meena <u>O.B.C. Category:-</u> 1- Vijay Singh
04	System Analyst and Design Manager	Alok Sharma
05	Programmer	Anurag Nagar

सहायक कुलसचिवों के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि सहायक कुलसचिव के नवसृजित पद क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य हेतु सृजित किए गए है, अतः क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्य की अधिकता को देखते हुए एक के स्थान पर दो सहायक कुलसचिवों का पदस्थापन किया जाए।

90/13(1) विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ करने हेतु होरिजेंटल आरक्षण के तहत पदों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में समिति गठन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सदन द्वारा स्वीकृत पदों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ करने हेतु होरिजेंटल आरक्षण के तहत पदों को चिन्हित करने के लिए एक समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

90/13(2) परीक्षा नियंत्रक, पद की योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु निर्धारित योग्यताओं में निम्नानुसार संशोधन किये जाने को अनुमोदन किया गया :-

कम संख्या	पूर्व निर्धारित योग्यता	प्रस्तावित योग्यता
i	A Master's degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale	A Master's degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale
ii	At least 08 Year experience of conducting University examination and other allied work at the executive level and having record justifying entrusting of confidential work at the level of Asst/Dy. Registrar / eight year experience of teaching including experience to conduct examination.	At least 05 Year experience of teaching / administration

S/- [signature]

	Desirable qualification Experience of university administration and familiarity with the working of university bodies and institutions. A minimum total administrative experience of 8 year of working as Deputy Registrar or Assistant Registrar	Knowledge of information technology

90/13(3) निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञ की नियुक्ति हेतु पैनल का अनुमोदन।

निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञ की नियुक्ति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत पैनल का अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत बैठक समाप्त घोषित की गई।

(प्रो0 अशोक शर्मा)
कुलसचिव एवं
सचिव (प्रबंध मंडल)